न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/355

हजारी लाल पुत्र ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. विनोद प्रजापत तथाकथित पुत्री मोती लाल ।
2. श्रीमती मनभर तथाकथित पत्नी मोती लाल जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम माणी तसहील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. मोती लाल पुत्र ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 25.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पुश्तैनी भूमि में पोती का हक दिलावाने बाबत् दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुशालीपुरा में खाता संख्या 14 नया पुराना 11 की खसरा नम्बर 62 रकबा 19.05 बीघा भूमि स्थित है जिसमें वादिनी के पिता मोती का 1/4 हिस्सा निहित है । प्रार्थिया के पिता मोती ने दिनांक 04.07.2017 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अपने उक्त हिस्से को हजारी पिता ग्यारसा कुम्हार जो कि मोती के भाई हैं के नाम बेचान कर दिया । रजिस्टर्ड बेचान पत्र के आधार पर उक्त भूमि हजारी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई । उक्त भूमि में वादिनी का भी हक बनता है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी एवं उसकी मॉ को वादग्रस्त आराजी में अपना पुश्तैनी हक दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट हजारी लाल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानूनन रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूवल के अनुसार कोई भी निर्णय आदेशिका पर पारित नहीं कर पृथक से निर्णय लिखाये जाने के आज्ञापक प्रावधान हैं, रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूवल के अनुसार कोई आदेशिका पर पारित निर्णय गैर कानूनी व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत की दिनांक को ही स्वीकार कर अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत दावा डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात को उसके द्वारा साक्ष्य से साबित नहीं किया है । अपीलान्ट को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । उक्त भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2017 को क्रय की है और क्रय की दिनांक से ही वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कानूनन रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूवल के अनुसार कोई भी निर्णय आदेशिका पर पारित नहीं कर पृथक से निर्णय लिखाये जाने के आज्ञापक प्रावधान हैं, रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूवल के अनुसार कोई आदेशिका पर पारित निर्णय गैर कानूनी व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत की दिनांक को ही स्वीकार कर अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत दावा डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात को उसके द्वारा साक्ष्य से साबित नहीं किया है । अपीलान्ट को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । उक्त भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2017 को क्रय की है और क्रय की दिनांक से ही वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने मोतीलाल रेस्पोडेन्ट कम 3 के जीवित रहते उसके हिस्से की विक्रय की गई आराजी को पैतृक भूमि मानते हुए रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 को वैधानिक पत्नी व पुत्री न होने के बावजूद भी 1/12–1/12 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । लोक अदालत में केवल आपसी सहमति व बरूये राजीनामा निर्णय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत दावा डिक्री कर दिया । अपीलान्ट अनपढ व अशिक्षित है जिसके खाली आर्डरशीट पर अंगूठा लगवाकर जवाबदेही शहादत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही मनमाने रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.05.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अंकित करते हुए उसे लोक अदालत में रखते हुए वाद वादी डिक्री किया है । प्रस्तुत प्रकरण में पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है ।

10. लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं किया है न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं वादी द्वारा केवल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे दावा में दर्ज कर लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा